न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/602

कैलाश बाई पुत्री मोड़्या पत्नी स्व0 बालचन्द जाति कुमावत निवासी झालीपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. केदार बाई पुत्री मोड़्या पत्नी जानकीलाल जाति कुमावत ।
2. कन्हैया लाल दत्तक पुत्र मोड़्या जाति कुमावत निवासीगण झालीपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. तहसीलदार लाडपुरा कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री तेजसिंह धाभाई, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 18.12.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88 एवं 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया जिसे साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दसलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 747 रकबा 3.40 हैक्टर भूमि है । उक्त भूमि प्रार्थी के पिता मोड़्या के खाते में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है । प्रार्थिया के पिता मोड़्या की मृत्यु के पूर्व ही उक्त आराजी प्रार्थिया के पिता व अप्रार्थी कम 2 कन्हैयालाल के खाते में आधी–आधी आराजी गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी जबकि कन्हैया लाल एक अजनबी व्यक्ति हैं जिसका प्रार्थिया के पिता से कोई सम्बन्ध नहीं था स्व0 मोड़्या के दो ही संतान थी जिसमें प्रार्थिया और अप्रार्थी कम 1 शामिल है जो वर्तमान में भी जीवित हैं । अप्रार्थी कम 2 कन्हैयालाल का उक्त आराजी में नाम रजास्व रिकॉर्ड में गलत रूप से दत्तक पुत्र के रूप में दर्ज किया गया है । उक्त आराजी को अप्रार्थी कम 1 व 2 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से दर्ज किया गया है जबकि अप्रार्थी कम 1 के

साथ प्रार्थिया का नाम भी उक्त आराजी के खाते में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए था । प्रार्थिया अपने हिस्से 1/2 की खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की अधिकारिणी है । अप्रार्थीगण कम 1 व 2 उक्त आराजी को बेचान करने पर आमादा हैं । उक्त आराजी पर ताफैसला वाद रिसीवर कायम किया जाना आवश्यक है । प्रथमदृष्टया केस प्रार्थिया के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद उक्त आराजी पर रिसीवर कायम किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.11.2018 के द्वारा प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.11.2018 से व्यथित होकर प्रार्थिया अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट स्वर्गीय मोड्या की पुत्री है जिसका उक्त आराजी पर पुश्तैनी अधिकार प्रथमदृष्टया मौजूद है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को भी नजरअन्दाज कर दिया कि स्व0 मोड्या की आराजी में रेस्पोडेन्ट कम 2 का नाम वसीयत दिनांक 01.02.1984 से भी पूर्व में स्व0 मोड्या के साथ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करने में यह त्रुटि की है कि रेस्पोडेन्ट कम 2 द्वारा स्वयं को दत्तक पुत्र बताया गया है जबकि दत्तक सम्बन्धी कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को भी नजरअन्दाज किया है कि स्व0 मोड्या ने जब दिनांक 01.02.1984 को सम्पूर्ण आराजी रेस्पोडेन्ट कम 2 के नाम वसीयत कर दी तो तत्पश्चात् दिनांक 26.11.1988 को उक्त आराजी के आधे हिस्से का दानपत्र रेस्पोडेन्ट कम 1 के नाम करवाया गया जिसका पंजीयन दिनांक 14.03.1989 को किया उसे उसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करना विधि – विरूद्ध है । वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है जिसमें अपीलान्ट का बराबर हिस्सा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ ने प्रार्थिया अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया है । अपीलान्ट मोड्या की पुत्री है इस कारण वादग्रस्त आराजी पर उनका प्रथमदृष्टया अधिकार बनता है । रेस्पोडेन्ट कम 2 ने वसीयत से पूर्व मोड्या के साथ राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया जो विधि – विरूद्ध है । रेस्पोडेन्ट कम 2 ने स्वयं को दत्तक पुत्र बताया है जबकि दत्तक सम्बन्धी कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि वह स्वर्गीय मोड्या का दत्तक पुत्र है । स्वर्गीय मोड्या ने जब दिनांक 01.02.1984 को सम्पूर्ण आराजी रेस्पोडेन्ट कम 2 के नाम वसीयत कर दी तो तत्पश्चात् दिनांक 26.11.1988 को उक्त आराजी के आधे हिस्से का दानपत्र रेस्पोडेन्ट कम 1 के नाम करवाया गया जिसका पंजीयन दिनांक 14.03.1989 को किया गया जो विधि –विरूद्ध है। दोनों दस्तावेज विवादास्पद हैं जिनका विचारण मूल दावे में किया जाना है । अपीलान्ट

वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार हैं । अपीलान्ट के हितों की रक्षा के लिए वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर कायम किया जाना आवश्यक है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2018 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में आरआरटी 2014 (1) पेज 519, आरआरडी 2007 पेज 297 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी मोड्या के खाते में दर्ज थी मोड्या ने अपने जीवनकाल में कन्हैयालाल के पक्ष में वसीयत निष्पादित कर दी जो उप पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध करवायी गई थी । सन् 1984 में ही ग्रामवासियान के समक्ष कन्हैयालाल को पूरे रस्म रिवाज के साथ गोद लिया था । कन्हैयालाल का दत्तक पुत्र बनने के पश्चात् उनकी पुश्तैनी आराजी में बराबर हिस्से का अधिकारी हो गया था । इस कारण सेटलमेंट ने वादग्रस्त आराजी में मोड्या के साथ कन्हैयालाल का नाम भी दर्ज कर दिया जो सही है । मोड्या ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की आराजी को प्रतिवादी क्रम 1 श्रीमती केदारी बाई को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र से दिनांक 26.11.1988 को दान कर दिया तथा इस दानपत्र का उप पंजीयक कार्यालय कोटा से दिनांक 14.03.1989 को पंजीयन करवा दिया । वादग्रस्त आराजी के अप्रार्थीगण खातेदार कृषक हैं और काबिज काश्त हैं । प्रार्थी का कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में निहित नहीं है और न ही उसका कब्जा है । काबिज व्यक्ति को बेदखल कर रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता । प्रार्थी अपीलान्ट ने रिसीवर नियुक्त किये जाने के लिए आवश्यक तत्व Waste damage and alienation का जिक्र नहीं किया है । इसलिए रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता वैसे भी प्रोपर्टी इनमिडियो नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2018 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2004 से 2007 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी मोडू बेटा हीरा के नाम खातेदारी में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2047 से 2050 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी मोड्या पुत्र हीरा व कन्हैयालाल दत्तक मोड्या के खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2031 से 2034 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी मोड्या के खाते में दर्ज है । पत्रावली पर एक दानपत्र की फोटो प्रति भी संलग्न है जिसके अनुसार मोड्या ने वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से का दान केदारीबाई अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में किया है साथ ही एक वसीयतनामा की फोटो प्रति संलग्न है जो उप पंजीयक कार्यालय से पंजीकृत है । यह वसीयत कन्हैयालाल के पक्ष में की गई है । एक राशनकार्ड की फोटो प्रति भी संलग्न है जिसमें कन्हैयालाल को मोड्या का पुत्र बताया गया है । इसी प्रकार पत्रावली पर संलग्न फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 के अनुसार वादग्रस्त आराजी केदारी बाई और कन्हैया लाल के खाते में संभाग से दर्ज है ।

10. अपीलान्ट प्रार्थी ने यह कथन करते हुए दावा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है कि वह स्वर्गीय मोड्या की पुत्री है इस नाते वादग्रस्त आराजी में उसका 1/2 हिस्सा निहित है । पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी संवत् 2047 से 2050 संलग्न है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी मोड्या एवं कन्हैयालाल के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है । पत्रावली पर संलग्न फोटो प्रति दान पत्र के अनुसार मोड्या ने अपना 1/2 हिस्सा केदारीबाई पत्नी जानकी लाल

के नाम जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र दान किया है । इसके पूर्व वो सम्पूर्ण आराजी की वसीयत कन्हैयालाल के पक्ष में निष्पादित कर चुका था । यह वसीयत भी उप पंजीयक कार्यालय से पंजीकृत है । मोड्या की मृत्यु हो चुकी है ऐसी स्थिति में यदि कन्हैयालाल को मोडू का गोद पुत्र नहीं माना जावे तब भी इस वसीयत के आधार पर दान के उपरान्त शेष बची आराजी प्राप्त करने का वह प्रथमदृष्टया अधिकारी बनता है ।

11. यद्यपि पक्षकारों के स्वत्व एवं अधिकार मूल दावे में साक्ष्य के उपरान्त तय होगें इस स्टेज पर नहीं परन्तु संवत् 2047 से 2050 की नकल जमाबन्दी के अनुसार वादग्रस्त आराजी में कन्हैयालाल सहखातेदार दर्ज हो चुके थे और मोड्या के पंजीकृत दानपत्र के आधार पर 1/2 हिस्से में केदारबाई सहखातेदार दर्ज हो चुकी है । वर्ष 1990 के राजस्व रिकॉर्ड में किये गये इन इन्द्राजों के विरूद्ध अपीलान्ट प्रार्थी ने वर्ष 2018 में दावा पेश किया है । उन्होंने अपने कब्जे के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है । रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं । अपीलान्ट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में आराजी के Waste damage का कथन नहीं किया गया है । रिसीवर एक कठोरतम व्याधि होती है । राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार काबिज काश्त व्यक्ति को बेदखल कर रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

12. इन तथ्यों के अधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2018 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 18.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18.12.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा